



नथिया / जबरन सुरेशी - 139/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
<p>9.10.24 30.9.24</p> 	<p>अपीलांत 3 दिवस जल्दी ज.प.स कोर्ट दो 544411/24</p> <p>पेश। वकील अपीलांत न उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वो अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फसल नुमां होकर नम्बर से काट होकर बाद तारीख उकमील दाखिल टफन हो।</p> <p>भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प इन्डियान)</p>	<p>Note Book अ. अ नथिया  अधीनारी L R शरीर पदिनारी H A</p>